

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(02)डीएलबी / 2022 / 5062

दिनांक: 5-4-2022

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम जोधपुर-उत्तर के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय जोधपुर में न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनेल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं	अधिवक्ता का नाम	Enrollment Number	न्यायालय का नाम
1.	श्री आयुष गहलोत	R/732/2017	मा0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर
2.	श्री अश्वनी गहलोत	R/1312/2004	मा0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर
3.	श्री सुनील कच्छवाह	R/887/2012	मा0 अधीनस्थ न्यायालय जोधपुर

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1447-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जोधपुर- उत्तर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 5-4-2022

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(02)डीएलबी / 2022 / 5064-5076

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (एमके), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 सरकार को उनका पत्रांक मु.म-विशेषा, (एमके) / प-2 / स्थानिवि / जयपुर / 22 / 1226 दिनांक 15.01.2022 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
6. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर-उत्तर।
7. श्री आयुष गहलोत / श्री अश्वनी गहलोत / श्री सुनील कच्छवाह अधिवक्ता मार्फत नगर निगम जोधपुर-उत्तर।
8. उपनिदेशक (साख्यकी) निदेशालय को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 582 दिनांक 25.01.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श